



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION

(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2020/ 1052

भोपाल, दिनांक 11-11-2020

आदेश

विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विश्वविद्यालय के सांध्यकालीन विभाग में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क एवं शुल्क विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार लागू किया जाता है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव

पृ. क्र./अका./2020/ 1053

भोपाल, दिनांक 11-11-2020

प्रतिलिपि -

1. निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलाधिसचिव/कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. प्रभारी, सांध्यकालीन पाठ्यक्रम की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी, पुस्तकालय की ओर सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक की ओर सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
6. एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड की ओर सूचनार्थ एवं ऑनलाईन प्रवेश आवेदन/विवरणिका में यथानुसार संशोधन/अद्यतन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
7. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

सांध्यकालीन एक वर्षीय स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम शुल्क भुगतान विवरण एवं शुल्क नियम सत्र 2020-2021

- 1) पी.जी.डिप्लोमा (वीडियो प्रोडक्शन) (P.G. Diploma in Video Production) 2) पी.जी.डिप्लोमा (सायबर सिक्योरिटी) (P.G. Diploma in Cyber Security)
3) पी.जी.डिप्लोमा (योगिक स्वास्थ्य प्रबंधन) (P.G. Diploma in Yogic Health Management) 4) पी.जी.डिप्लोमा (इवेंट मैनेजमेंट) (P.G. Diploma in Event Management)

शुल्क विवरण			सामान्य विद्यार्थी		विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थी		विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी	
किश्त शुल्क भुगतान की अवधि	अंतिम तिथि	शुल्क का विवरण	राशि	कुल राशि	राशि	कुल राशि	राशि	कुल राशि
प्रथम किश्त	प्रवेश के समय	पुस्तकालय काशनमनी	2000	5930	-	2000	-	3180
		प्रयोगशाला शुल्क	500		-		500	
		वि.वि. विकास फंड	150		-		150	
		प्रवेश शुल्क	200		-		200	
		परिचय-पत्र शुल्क	30		-		30	
		पंजीयन (नामांकन) शुल्क	1250		1250		1250	
		शिक्षण शुल्क	1500		750		750	
		पुस्तकालय शुल्क	150		-		150	
		छात्र गतिविधि	150		-		150	
द्वितीय किश्त 01 से 15 जनवरी 2021	15-01-2021	शिक्षण शुल्क	1500	2700	750	1500	750	1950
		पुस्तकालय शुल्क	150		-		150	
		छात्र गतिविधि	150		-		150	
		वि.वि. विकास फंड	150		-		150	
		परीक्षा शुल्क(प्रथम सेम.)	750		750		750	
तृतीय किश्त 01 से 15 मार्च 2021	15-03-2021	शिक्षण शुल्क	1500	1950	750	750	750	1200
		पुस्तकालय शुल्क	150		-		150	
		छात्र गतिविधि	150		-		150	
		वि.वि. विकास फंड	150		-		150	
चतुर्थ किश्त 01 से 15 अप्रैल 2021	परीक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार	शिक्षण शुल्क	1520	2570	760	1510	760	1810
		पुस्तकालय शुल्क	150		-		150	
		वि.वि. विकास फंड	150		-		150	
		परीक्षा शुल्क(अंतिम सेमे.)	750		750		750	
		कुल योग रूपये			13150			

(Handwritten Signature)

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

नियम:

1. सभी विद्यार्थियों को नियत तिथि पर देय शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है।
2. शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात रु. 5/- (रुपये पाँच) प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देय होगा। विलम्ब शुल्क पाठ्यक्रम खत्म होने वाले अंतिम सत्र की परीक्षा के अंतिम दिन तक देय होगा।
3. विद्यार्थी की जमा काशनमनी उपरोक्त पाठ्यक्रम समाप्ति तिथि से छः माह की अवधि में अदेय (नोड्यूज) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वापस की जायेगी। काशनमनी वापसी का आवेदन करते समय संबंधित विद्यार्थी को जमा की गई काशनमनी की मूल रसीद अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगी। इस अवधि में विद्यार्थी द्वारा काशनमनी नहीं लिये जाने पर विद्यार्थी की काशनमनी वापस लेने की पात्रता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
4. काशनमनी के अतिरिक्त विद्यार्थी द्वारा जमा किया गया अन्य कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
5. परीक्षा के पूर्व विद्यार्थी को उपरोक्तानुसार संबंधित अवधि के लिये देय समस्त शुल्कों का भुगतान करना अनिवार्य है, अन्यथा विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
6. जो उम्मीदवार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं उन्हें उक्त शुल्क में से केवल पंजीयन (नामांकन) शुल्क, शिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क देना होगा। शुल्क की अन्य मदों की उन्हें छूट प्रदान की जायेगी।
7. विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/अका./2018/1388 भोपाल, दिनांक 10-08-2018 अनुसार विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी एवं विद्यार्थियों को आदेश के अनुसार शिक्षण शुल्क में 50 प्रतिशत प्रदान की गई छूट यथावत रहेगी।
8. विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश निरस्त किये जाने अथवा विद्यार्थी द्वारा स्वेच्छा से प्रवेश निरस्त करवाने की स्थिति में अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत केवल काशनमनी की राशि ही लौटाई जायेगी।



(प्रो. डॉ. अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव